तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/77/2020/जयपुर कन्हैयालाल वगैरहा बनाम चन्दा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल पीठ</u>
<u>श्री सी.आर.मीणा, सदस्य</u>

<u>उपस्थित</u>

श्री आशीष कुमार जैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री हेमराज भडाना, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 से 4
अप्रार्थी संख्या 5 से 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 01–06–2022

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्थगन जारी करने से पूर्व तहत न्यायालय के रेकार्ड का परीक्षण किये जाने हेतु आदेशित किया है।

हमने निगरानी के संबंध में उभयपक्ष की बहस सुनी।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण होना बताया है। उनका कहना है कि मूल वाद को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत खारिज किया है। ऐसी स्थिति में ऐसे आदेश के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाना न्यायोचित है। उन्होंने कहा कि स्थगन जारी नहीं होने से वादीगण मकान को तोड देंगे। उनका आगे कहना है कि वाद की मद संख्या 3 में स्पष्ट वर्णन है कि बंदोबस्त की गलती के कारण आबादी खसरा संख्या 316 छोटा हो गया तथा प्रतिवादी का खसरा संख्या 321 बडा हो गया। जिससे वादीगण के मकान प्रतिवादी के खेत में दर्शित हो रहे है। अतः नक्शे में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/77/2020/जयपुर कन्हैयालाल वगैरहा बनाम चन्दा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संशोधन अपेक्षित है। यहीं नहीं प्रार्थीगण के मकान बाबत उनके द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश की है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय को प्रकरण को गुणावगुण पर तनकी बनाकर निर्णित करना चाहिए था किन्तु न्यायालय ने सरसरी तौर पर दावे को बेदखली से बचने का प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया। उनका यह भी तर्क है कि राजस्व रेकार्ड में गलती के चलते एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पुख्ता मकानात को तुडवाना चाह रहा है। उक्त स्थिति के परिवेश में आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2019 को निरस्त कर ताफैसला अपील राजस्व रेकार्ड रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने का निवेदन किया।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण की परिस्थिति के मद्देनजर आक्षेपित आदेश पारित किया है। उनका कहना है कि बिना रेकार्ड का अवलोकन किए मामले में स्थगन जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त साक्ष्य के पारित किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होता है। उनका तर्क है कि आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश को अन्यथा सिद्ध करने बाबत प्रार्थीगण ने निगरानी में किन्हीं तथ्यों का समावेश नहीं किया है। इस कारण आक्षेपित आदेश अहस्तक्षेपनीय है। अन्त में प्रस्तुत निगरानी खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया।

निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों एवं आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/77/2020/जयपुर कन्हैयालाल वगैरहा बनाम चन्दा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 299/2017 बउनवान छोटा देवी बनाम चन्दा को प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत बार्ड बाई लॉ विवेचित करते हुए आज्ञा दिनांक 25-97-2019 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील मय संलग्नक स्थगन के बारे में न्यायालय ने आदेश दिनांक 20-12-2019 पारित किया है। अपीलीय न्यायालय ने स्थगन की कार्यवाही में तहत न्यायालय के रेकार्ड के अवलोकन के बाद स्थगन बाबत अभिमत दिया जाना आदेशित किया है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय साक्ष्य का मोहताज है तथा अपर्याप्त साक्ष्य के पारित किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होना माना जाता है। इसके अतिरिक्त अपूर्ण साक्ष्य के निर्णय पारित होने की स्थिति में पक्षकारान में भविष्य में वाद बाहुल्यता को भी बढावा मिलना सम्भावित है। हमारे द्वारा आक्षेपित आदेश का परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि उक्त आदेश प्रकरण की परिस्थिति के मद्देनजर स्वविवेकीय आदेश है। जिसमें हम वर्तमान स्तर पर निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। तदनुसार मामले में पारित किया गया आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही सारहीन होना पायी जाती है। वैसे भी निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है तथा निगरानी के माध्यम से निगराधीन आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जाता है जबकि पारित किया गया आदेश क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग अथवा विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। सारांशतः प्रार्थीगण द्वारा निगरानी मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। अतः हमारे सुविचारित मत में प्रस्तुत निगरानी में कोई बल नहीं होने के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/77/2020/जयपुर कन्हैयालाल वगैरहा बनाम चन्दा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कारण इसे खारिज किया जाना समीचीन है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2019 को यथावत रखा जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय उनके समक्ष विचाराधीन स्थगन की कार्यवाही में रेकार्ड की उपलब्धता के मद्देनजर 30 दिवस की अवधि में आलोच्य प्रार्थना पत्र का अन्तिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। **इसके साथ मण्डल के संबंधित अहलमद को आदेशित किया जाता है कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का सम्पूर्ण अभिलेख 7 दिवस में राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर को आवश्यक रूप से भिजवाये।** निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सी.आर.मीणा)** **सदस्य**	